**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड**
**अधिसूचना सं० 85/2020 केन्द्रीय कर**

नई दिल्ली, तारीख 10 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. .....(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो त्रिमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में जमा करके उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध्य कर का संदाय कर सकेंगे, -

(i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैतीस प्रतिशत; या

(ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां तत्कालीन पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व:

परन्तु जहां –

(क) त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है;

(ख) त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रिमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है,

वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पूर्ण कर अवधि" पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं०-सीबीईसी20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार